

	Deputy Commissioner of Police -Kochi City	1
	Deputy Commissioner of Police, Kozhikode City	1
	Superintendent of Police, Women Cell	1
	Commandant, IRB	1
	Assistant Inspector General of Police, Coastal Police	1
	Commissioner of Police – Kollam City	1
	Commissioner of Police –Thrissur City	1
	Superintendent of Police – Special Branch Crime Investigation Department	1
	Superintendent of Police – Crime Branch Crime Investigation Department	3
	Superintendent of Police – Vigilance	2
	Commandant-AP Bn	1
	Superintendent of Police, Anti Terrorist Force (ATF)	1
1	Total Senior Duty Posts	94
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	37
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	23
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	03
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	15
6	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above	52
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	120
	Total Authorized Strength	172”

[File No. 11052/04/2015- AIS-II (A)]
KAVITHA PADMANABHAN, Dy. Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Kerala Cadre was 163.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Kerala Cadre by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date	Sl.No.	GSR No.	Date
1.	540	27.10.1975	10.	320E	31.03.1995
2.	812	12.06.1976	11.	294	24.06.1995
3.	455(E)	30.07.1980	12.	740(E)	31.12.1997
4.	1008(E)	14.11.1981	13.	212(E)	24.04.1998
5.	344(E)	20.04.1983	14.	195	07.04.2001
6.	646	30.06.1984	15.	902(E)	30.12.2008
7.	187	26.03.1988	16.	192(E)	24.03.2009
8.	403	13.07.1991	17.	634(E)	01.09.2010
9.	90	04.03.1995			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

सा.का.नि. 584(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची II में,-

भाग क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों में, संबंधित तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली "केरल" प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

केरल

पुलिस महानिदेशक सह राज्य पुलिस प्रमुख	रुपए 80,000/-(नियत)
निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	एचएजी+रुपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 80,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक आसूचना	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक व निदेशक 'केपा'	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक, कारागार	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन दल	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस बटालियन	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक, साउथ जोन	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक, नॉर्थ जोन	एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% की दर से) रुपए 79,000/-

पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक अपराध I, II और III	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-

पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता (मुख्यालय)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार आयोग	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, सिविल अधिकार संरक्षण	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, आंतरिक सुरक्षा	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधन	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक, तटीय पुलिस	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-
उप पुलिस महानिरीक्षक तिरुवनंतपुरम रेंज	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक एर्नाकुलम रेंज	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक त्रिशूर रेंज	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक कन्नूर रेंज	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक आसूचना	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बटालियन	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, तिरुवनंतपुरम शहर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, कोच्चि शहर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, कोझीकोड शहर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/-

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता लेने वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन लेने वाले पदों से संबंधित भाग 'ख' में "केरल" के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

पुलिस अधीक्षक - कासरगोड
पुलिस अधीक्षक - कन्नूर
पुलिस अधीक्षक - वायनाड
पुलिस अधीक्षक - कोझिकोड ग्रामीण
पुलिस अधीक्षक - मलप्पुरम
पुलिस अधीक्षक - पलक्कड
पुलिस अधीक्षक - त्रिशूर ग्रामीण
पुलिस अधीक्षक - एर्नाकुलम ग्रामीण

पुलिस अधीक्षक - इदुदुकी
पुलिस अधीक्षक - कोट्टायम
पुलिस अधीक्षक - अलाप्पुझा
पुलिस अधीक्षक - पथानामथिट्टा
पुलिस अधीक्षक - कोल्लम ग्रामीण
पुलिस अधीक्षक - तिरुवनंतपुरम
पुलिस अधीक्षक - एस.बी., सीआईडी
पुलिस अधीक्षक, सीबी, सीआईडी
पुलिस अधीक्षक - रेलवे
पुलिस अधीक्षक - सतर्कता
पुलिस अधीक्षक - मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक-दूरसंचार
पुलिस अधीक्षक सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी
पुलिस अधीक्षक सशस्त्र पुलिस बटालियन

कमांडेंट राज्य रैपिड एक्शन फोर्स
प्राचार्य, पीटीसी
सहायक निदेशक-'केपा'
सहायक निदेशक (प्रशासन) - 'केपा'
सहायक पुलिस महानिरीक्षक -लोक शिकायत और कानूनी मामले
सहायक पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय
अपर पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय
राज्यपाल के परिसहाय
उप पुलिस उपायुक्त- तिरुवंतपुरम शहर
उप पुलिस उपायुक्त -कोच्चि शहर
उप उप पुलिस उपायुक्त, कोझीकोड शहर
पुलिस अधीक्षक, महिला सेल
कमांडेंट आईआरबी
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तटीय पुलिस
पुलिस आयुक्त - कोल्लम शहर
पुलिस आयुक्त - त्रिधुर सिटी
पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा अपराध जांच विभाग
पुलिस अधीक्षक - अपराध शाखा अपराध जांच विभाग
पुलिस अधीक्षक - सतर्कता
कमांडेंट एपी बटालियन
पुलिस अधीक्षक, एंटी टेररिस्ट फोर्स (एटीएफ)

[फा. सं. 11052/04/2015-अ.भा.से.-II (ख)]

कविता पद्मनाभन, उप सचिव

दिप्यणी: मुख्य विनियम तारीख 20.03.2007 की सा.का.नि.सं. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित तारीखों की सा.का.नि.सं. के तहत संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	प्रकाशन की तारीख
1	23(अ)	10.01.2008	16	451(अ)	26.05.2010	31	45(अ)	22.01.2014
2	665(अ)	19.09.2008	17	689(अ)	19.08.2010	32	47(अ)	22.01.2014
3	123(अ)	15.04.2009	18	836(अ)	13.10.2010	33	302(अ)	29.04.2014
4	542(अ)	21.07.2009	19	899(अ)	09.11.2010	34	384(अ)	06.06.2014
5	572(अ)	13.08.2009	20	954(अ)	06.12.2010	35	514(अ)	18.07.2014
6	820	12.11.2009	21	920(अ)	30.12.2011	36	928(अ)	30.12.2014
7	72(अ)	10.02.2010	22	922(अ)	30.12.2011	37.	657(अ)	25.08.2015
8	102(अ)	25.02.2010	23	94(अ)	16.02.2012	38.	707(अ)	16.09.2015
9	191(अ)	12.03.2010	24	115(अ)	28.03.2012	39.	1015(अ)	29.12.2015
10	298(अ)	08.04.2010	25	325(अ)	26.04.2012	40.	1030(अ)	31.12.2015
11	397(अ)	11.05.2010	26	941(अ)	28.12.2012	41.	91(अ)	19.01.2016
12	404(अ)	13.05.2010	27	55(अ)	31.01.2013	42.	327(अ)	18.03.2016
13	413(अ)	17.05.2010	28	104(अ)	18.02.2013	43.	470(अ)	29.04.2016
14	432(अ)	20.05.2010	29	602(अ)	06.09.2013			
15	434(अ)	20.05.2010	30	604(अ)	06.09.2013			

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2016

G.S.R. 584 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Kerala hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

- (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, in schedule II,—
in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “Kerala” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“KERALA

Director General of Police cum State Police Chief	Rs.80000/-(fixed)
Director, Vigilance & Anti Corruption Bureau	HAG+ Rs.75500/- (annual increment @ 3%) 80,000/-
Additional Director General of Police Intelligence	HAG Rs. 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
Additional Director General of Police Crimes	HAG Rs. 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
Additional Director General of Police & Director KEPA	HAG Rs. 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-